(193)

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी /2014 R-2877-III/14

पवन पुत्र राम प्रसाद सोनी निवासी ग्रम आरोन तहसील आरोन जिला गुना म0प्र0।

..................आवेदक

विरूद्ध

1. तुलसीराम पुत्र श्री बल्लू उर्फ बब्बू ढीमर निवासी ग्रम बरोद तहसील आरोन जिला गुना म.प्र.

..............फोरमल पक्षकार

2. म0प्र0 शासन

........................अनावेदक

श्री सुनील सिंह जादौन, अभि. द्वारा आज दि. 3-9-14 को प्रस्तुत
3-9-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुनील सिंह जादौन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू– राजस्व सहिता 1959 के अतर्गत विरूद्ध श्रीमान कलेक्टर जिला गुना म.प्र. की न्यायालय के राजस्व प्रकरण कमाक 04/स्व0 निगरानी /2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 से दुखित होकर निगरानी ।

श्रीमान जी,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायत कर्ता गनपत नाई ग्रम बरोद तहसील आरोन जन शिकायत निवारण में शिकायत की गई कि ग्रम बरोद की भूमि सर्वे कमाक 300/9 रकवा 2.000 है0 विक्रय **निषेद** की जमीन की रजिस्ट्री कराकर आवेदक की जमीन हडपने की शिकायत की गई । नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमाक 3057/बी/121/2011–2012 प्रतिवेदन दिनांक 27.9.2012 से प्रतिवेदित किया कि ग्राम बरोद तहसील आरोन मे स्थित भूमि सर्वे कमाक 300/9 रकवा 2.000 है0 जिल्द बंदोवस्त मे शासकीय दर्ज होकर उक्त भूमि का शासकीय पटटा तुलसीराम पत्र बल्ल जाति ढीमर निवासी ग्रम बरोद को होकर पटटेदार तलसीराम पत्र बल्ल ढीमर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग.2877-दो/2014 जिला- गुना

पवन विरूद्ध तुलसीराम अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२ -08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- गुना के प्रकरण क्रमांक 04/स्वमेवनिगरानी/12-13 में पारित आदेश दिनांक 23.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	